



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद अधिनियम द्वारा स्थापित)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा 4(1) (बी) (xv)

1.4: विश्वविद्यालय द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानदंड:

विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय है, जो विश्वविद्यालय के मामलो समान्य अधीक्षण, निर्देशों नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। जबकि विश्वविद्यालय प्रमुख शैक्षणिक निकाय अकादमिक परिषद् है। जो शिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के मनको के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। विश्वविद्यालयों के वित्तीय अनुमानों और अन्य वित्तीय गतिविधियों का प्रबंधन करती है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार योजना और निगरानी बोर्ड, अध्ययन बोर्ड, अदि है। जो विभिन्न कार्यक्रमों, पाठ्यकर्मों शैक्षणिक दिशानिर्देशों के विकास की निगरानी करने के लिए अधिकृत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के आलावा के अलावा, समय समय पर संशोधित नियमों, विनियमों, भारत सरकार के निर्देशों का विश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाता है।

1.4.1: प्रदान की जाने वाली सेवाओं/कार्यों की प्रकृति: जैसा कि निम्नलिखित लिंक पर विश्वविद्यालय के उद्देश्य में निर्दिष्ट है:

<https://www.slbsrsv.ac.in/university/objective-university>

1.4.2: कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक: जैसा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2020 में निर्दिष्ट है, निम्नलिखित लिंक पर देखें:

<https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/central-sanskrit-universities-act>

1.4.3: इन सेवाओं तक पहुँचने की प्रक्रिया: इन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<https://www.slbsrsv.ac.in/>

1.4.4: लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय सीमा: जैसा कि विश्वविद्यालय के उपनियमों में निर्दिष्ट है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/central-sanskrit-universities-act>

1.4.5: शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया: विद्यार्थियों और हितधारकों की शिकायतों का निवारण विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यार्थियों की शिकायतों के निपटारे का कार्य डीन-छात्र कल्याण संकाय प्रमुख को सौंपा गया है। कर्मचारियों और अन्य सदस्यों की शिकायतों का निपटारा विधिवत गठित समितियों द्वारा किया जाता है।

<https://www.slbsrsv.ac.in/administration/special-cells/grievance-address-cell>